

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 2400174-ए/2016

F.No. 102079/2016

संस्थापित दिनांक-29.09.2016

1. सुनील शर्मा उम्र 45 वर्ष,
2. प्रवीण शर्मा उम्र 36 वर्ष,
पुत्रगण श्री रामप्रताप शर्मा निवासीगण ग्राम
अतरसूमा तहसील व जिला भिण्ड

.... आवेदकगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. रामप्रताप शर्मा उम्र 70 वर्ष पुत्र स्व0 श्री
रामेश्वरदयाल शर्मा,
2. श्रीमती गुड्डीदेवी बेबा स्व0 सतेन्द्र शर्मा उम्र
35 वर्ष,
3. अनिकेत शर्मा उम्र 13 वर्ष, पुत्र स्व0श्री सतेन्द्र
शर्मा नावालिग सरपरस्त मां श्रीमती
गुड्डीदेवी बेबा सतेन्द्र शर्मा निवासीगण ग्राम
अतरसूमा तहसील व जिला भिण्ड हाल-
निवास वार्ड नम्बर 37 अग्रवाल कॉलोनी बम्बा
के किनारे भिण्ड (म0प्र0)
4. बेतालसिंह यादव उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री
नारायण सिंह निवासी ग्राम डिडीकल तहसील
व जिला भिण्ड।
5. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक 12.09.2017 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत
आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का
निराकरण करेगा।
2. यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 आपस में
पिता पुत्रगण एवं शेष प्रतिवादीगण व वादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं।

3. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा अतरसूमा स्थित कृषि भूमि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई थी, जो पैतृक कृषि भूमि है। खाता क्रमांक 269 के सर्वे क्रमांक 75 रकवा 0.24, सर्वे क्रमांक 77 रकवा 0.16, सर्वे क्रमांक 484 रकवा 0.14, सर्वे क्रमांक 579 रकवा 0.10 सर्वे क्रमांक 587 रकवा 0.49 सर्वे क्रमांक 726 रकवा 0.17, सर्वे 760 रकवा 0.73, सर्वे क्रमांक 771 रकवा 0.46, सर्वे क्रमांक 961 रकवा 0.39, सर्वे क्रमांक 990 रकवा 0.37 किता 10 कुल रकवा 3.25 हेक्टेयर एवं खाता क्रमांक 113 दिनांक 14.09.2016 के अनुसार सर्वे क्रमांक 351 रकवा 0.05, सर्वे क्रमांक 923 रकवा 0.37, सर्वे क्रमांक 928 रकवा 0.32 किता 3 कुल रकवा 0.74 हेक्टेयर एवं खाता क्रमांक 150 दिनांक 14.09.2016 के अनुसार सर्वे क्रमांक 343 रकवा 0.17, सर्वे क्रमांक 346 रकवा 0.23, किता 2 कुलवा 0.40 हेक्टेयर है और उक्त खातो के सर्वे क्रमांक को बंदोवस्त में खाता क्रमांक 164 में पुराने सर्वे नम्बरो को 91, 86, 428, 520/1, 427, 610, 611, 813, 754, 850, 862, 863 कुल रकवा 3.25 हेक्टर एवं अभिलेख खाता क्रमांक 165 में पुराने सर्वे नम्बरो को बंदोवस्त के बाद 348, 924, 821 कुल रकवा 0.74 हेक्टर एवं अभिलेख खाता क्रमांक 166 के अनुसार पुराने सर्वे नम्बरो को बंदोवस्त के बाद सर्वे नम्बर 349/1, 349/2, 349/3, 353/4, 353/6 कुल रकवा 0.40 हेक्टर है, जो पुराने सर्वे नम्बर एवं बंदोवस्त के बाद परिवर्तित सर्वे नम्बर एक ही है।

4. उक्त संपत्ति पैत्रिक संपत्ति होकर आदि पुरुष छबिलाल व दादा रामेश्वर दयाल से वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई थी। वादीगण का परिवार बनारस हिन्दू स्कूल से शासित होकर हिन्दू मिताक्षरा कोपार्सनरी होकर उक्त संपूर्ण भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा समान भाग पर राजस्व अभिलेख में दादा रामेश्वरदयाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज हुआ तथा दादा रामेश्वर दयाल के समय में वादीगण छोटे थे और उस समय से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम का इन्द्राज है तथा वह वादीगण के हिस्से की भूमि को

विक्रय कर क्षति पहुंचाना चाहता है, जब कि उक्त पैत्रिक कृषि भूमि में वादीगण 1/2 भाग के स्वत्वाधिकारी है। उक्त कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से खेती की जा रही है तथा समान भाग बांट लिया जाता है तथा अभी तक बटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 07.09.2016 को सर्वे नम्बर 961 में से रकवा 0.06 एक बटा दो हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 4 को विक्रय कर दिया गया है। जब इस संबंध में चर्चा की तो प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा कहा गया कि जमीन राजस्व अभिलेख में उनके नाम से है, इसलिये विक्रय कर दी तथा आगे भी विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है। जब कि सर्वे नम्बर 961 में वादीगण का भी हिस्सा है। अतः आवेदकगण/वादीगण का आवेदन स्वीकार कर मामले के निराकरण तक प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 को विवादित सर्वे नम्बरो की भूमि को अंतरण, विक्रय न करने एवं आवेदकगण के कब्जे में हस्तक्षेप न किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में वादीगण सुनील एवं प्रवीण ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 ने लिखित कथन एवं उक्त आवेदन का जबाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि ग्राम अतरसूमा में खाता क्रमांक 269 का तथ्य स्वीकार है तथा पुराने नम्बर एवं नवीन नम्बर का भी कोई विवाद न होने से उक्त तथ्य स्वीकार किया गया है, लेकिन उस पर वादीगण का कोई हित व हक होने के तथ्य से इंकार किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवित रहते वादीगण या प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 को कोई अधिकार विवादित भूमि पर प्राप्त नहीं होते हैं। इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित आराजी को बेच कर उसका धन प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 को देना चाहता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा जो जमीन विक्रय की गई है, वह जायज आवश्यकता के लिये विक्रय की गई है तथा प्राप्त धन को पूरे परिवार पर व्यय किया गया है। दिनांक 05.08.2016 को सर्वे क्रमांक 961 में से 0.06-1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 4 को विक्रय करने का तथ्य स्वीकार किया गया है तथा उस पर वादीगण का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है, बलिक विक्रय दिनांक से उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 4 काविज है।

वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन न होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन मिथ्या आधार पर प्रस्तुत किये जाने से सब्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में प्रतिवादी रामप्रताप ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदकगण/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

7. वादीगण का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जो उन्हें छविलाल एवं रामेश्वर दयाल से विरासत में प्राप्त हुई है तथा उनका वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर स्वत्व है। प्रतिवादीगण ने अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन में बताया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हित व हक नहीं है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अभिवचन तथा शपथपत्रीय कथन के तथ्य परस्पर विरोधाभासी होने के कारण उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

8. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवादित सर्वे क्रमांकों के सर्वे क्रमांक 961 क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर में से 0.06 1/2 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 4 को विक्रय की है।

9. वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा संवत् 2020-24, वर्ष 2016-17 के खसरा एवं खतौनी, अधिकार अभिलेख तथा विक्रय पत्र दिनांक 05.8.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण ने अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण के अभिवचन के

अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में छविलाल की थी, उसके पश्चात उक्त भूमि रामेश्वर दयाल को प्राप्त हुई तथा रामेश्वर दयाल के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में इंद्राज है। इस प्रकार वादीगण के अभिवचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम राजस्व अभिलेख में इंद्राज है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान के राजस्व अभिलेख खसरा एवं खतौनी वर्ष 2016-17 तथा अधिकार अभिलेख 1993-94 के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 रामप्रताप का अन्य सहखातेदारों के साथ नाम राजस्व अभिलेख में इंद्राज है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी छविलाल के नाम राजस्व अभिलेखों में इंद्राज रही हो। वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा संवत् 2020-24 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट नहीं है कि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि रामेश्वर के नाम राजस्व अभिलेख में इंद्राज रही हो। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि सहदायिकी संपत्ति है और वादीगण का सहदायिक होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर कोई हित या अधिकार है। बल्कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम अन्य सहखातेदारों के रूप में भूमि स्वामी के रूप में इंद्राज है।

10. वादीगण ने यह वाद वादग्रस्त भूमि को कोपार्सनरी संपत्ति बताते हुये एवं स्वयं को उक्त संपत्ति में कोपार्सनर बताते हुये स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का अधिकार दर्शित न होने से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

11. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया गया है और वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम अन्य सहखातेदारों के साथ इंद्राज है। ऐसी स्थिति में सुविधा का

संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना को भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

12. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 12.09.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)